



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032024-253472
CG-DL-E-30032024-253472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946

No. 77]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

मामला संख्या: ए डी (ओआई) -01/2024

विषय: चीन जन.गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अघुलनशील सल्फर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/01/2024-डीजीटीआर.—1. मे. ओरिएंटल कार्बन एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. और जापान (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अघुलनशील सल्फर" के पाटन का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. विचाराधीन उत्पाद "अघुलनशील सल्फर" है (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) है।

3. परिभाषा के अनुसार “अघुलनशील सल्फर” एक पॉलीमरिक सल्फर होता है जो कार्बन डार्ड सल्फाइड (सीएस2) में अघुलनशील है। अघुलनशील सल्फर को आम तौर पर ब्लूमिंग की समस्या जो रबड़ के यौगिक के लिए नुकसानदायक है, के प्रतिरोध के लिए कुछ रबड़ अनुप्रयोगों में वल्केनाइजेशन एजेंट के रूप में आम तौर पर प्रयोग किया जाता है।
4. अघुलनशील सल्फर महत्वपूर्ण रबड़ एडीटिव एजेंट है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता और पुराने होने से वहनीयता और प्रतिरोध में सुधार होता है। यह सर्वोत्तम वल्केनाइजेशन एजेंट के रूप में वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त होने के अलावा, इसे व्यापक रूप से टायर, ट्रीड, जूतों, सभी प्रकार के आटोमोबाइल रबड़ कलपुर्जों और अन्य रबड़ उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। अतः इसकी गैर-ब्लूमिंग विशेषता के कारण अघुलनशील सल्फर को ऐसे रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है जिसमें सामान्य सल्फर को अधिक अनुपात में मिलाया जाता हो। अंतिम प्रयोक्ता उद्योग के आधार पर भारत में अघुलनशील सल्फर की कुल खपत में से 90 प्रतिशत से अधिक का प्रयोग टायर उद्योग में होता है और शेष का प्रयोग गैर-टायर उद्योग में किया जाता है। माप की इकाई किलोग्राम (केजी) में व्यक्त उत्पाद का भार मानी जाती है।
5. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I की टैरिफ मद 2802 00 10 और 3812 39 30 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ मद 38249900 के अंतर्गत भी आयातित किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।
6. आवेदक ने वर्तमान आवेदन में किसी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन के संबंध में अपनी टिप्पणियां/अनुरोध, यदि कोई हों, कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है। यह बताया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, संबद्ध वस्तु के उत्पाद विनिर्देशन की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को चीन जन.गण. और जापान से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

8. यह आवेदन ओरिएंटल कार्बन एंड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
9. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। इसके अलावा, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. और जापान हैं।

ड. जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) जनवरी, 2023 – दिसंबर, 2023 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तथा जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

क. चीन के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए

कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

13. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में लागत या कीमत से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, जांच शुरू करने के उद्देश्य से, बिक्री, सामान्य और विधिवत समायोजन के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार विषय वस्तु के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है। उचित लाभ के साथ प्रशासनिक व्यय।

ख. जापान के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि जापान के घरेलू बाजार में उत्पाद की कीमत से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे परंतु, आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, जांच शुरू करने के उद्देश्य से, बिक्री, सामान्य और विधिवत समायोजन के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार विषय वस्तु के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है। उचित लाभ के साथ प्रशासनिक व्यय। प्राधिकरण जांच के दौरान सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इच्छुक पार्टियों और आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की जांच करेगा।

ग. निर्यात कीमत

15. संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकल्पित की गई है। कीमतों को कारखाना द्वार स्तर तक लाने के लिए उचित कीमत समायोजनों का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य से तुलनीय बन सकें।

घ. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया सिद्ध करती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और दोनों संबद्ध देशों से अलग-अलग विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

17. आवेदकों ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष दोनों तरह से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। पाटित आयातों द्वारा हुए कीमत न्यूनीकरण की वजह से घरेलू उद्योग पूरी लागत और तर्कसंगत आय प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पा रहा है। संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंड बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तरों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया चीन जन. गण. और जापान से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हैं।

ज. जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी वास्तविक क्षति की पाटनरोधी जांच को एतद्वारा शुरू करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

19. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादकों को नीचे उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
 21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
 22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
 23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने के लिए वे प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट (<http://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।
- ब. समय सीमा
24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को एडीडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
 25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।
- द. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
 27. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
 28. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 29. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
 30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
 31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

32. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर उक्त ई-मेल पतों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय अंश या नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के संबंध में पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीय अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
- ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें। अनुरोध/उत्तर/ सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।
- ड. असहयोग
36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2024

(Case No. AD(OI)- 01/2024)

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Insoluble Sulphur” originating in or exported from China PR and Japan.

F. No. 6/01/2024-DGTR.—1. M/s. Oriental Carbon & Chemicals Limited (hereinafter referred to as applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), seeking initiation of an anti-dumping investigation by alleging dumping of "Insoluble Sulphur", originating in or exported from China PR and Japan (hereinafter referred to as the “subject countries”).

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- The product under consideration is the “Insoluble Sulphur” hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC").
- Insoluble sulphur by definition, is a polymeric sulphur which is insoluble in carbon disulphide (CS₂). Insoluble Sulphur is generally used as a vulcanization agent in some rubber applications in order to resist the blooming phenomenon which is detrimental to rubber compound.
- Insoluble sulphur is an important rubber additive agent. it improves product quality, wearability and resistance to both fatigue and ageing. In addition to being universally recognized as the best vulcanizing agent, it is widely used in the manufacture of tire, tread, shoes, all kinds of automobile rubber parts and other rubber products. Therefore, due to its non-blooming characteristic, insoluble sulphur is widely used in the manufacture of rubber products in which common sulphur is incorporated in high proportion. Based on the

end-user industry, out of the total consumption of insoluble sulphur in India, more than 90% is used in the tyre industry and the remaining is used in non-tyre industry. The unit of measurement considered is weight of the product reported in kilograms (Kg).

5. The product under consideration is classifiable under tariff item 2802 00 10 and 3812 39 30 of the first schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. The product under consideration is also imported under tariff item 3824 99 00. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.
6. The applicant has not proposed any PCNs in the present application. The interested parties may offer their comments/submissions on the PUC/ PCN, if any, within thirty days from the date of date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

7. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject good originating in or exported from the subject countries. It has been stated that the article produced by the applicant and that imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry is being treated as 'like article' of the subject goods imported from China PR and Japan.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

8. The application has been filed by Oriental Carbon & Chemicals Limited.
9. As per the evidence available on record, the applicant is the sole producer of the product under consideration. Further, the applicant has not imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any the importer or the exporter of the subject goods. In view of the above, the Authority notes prima facie that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

D. SUBJECT COUNTRIES

10. The subject countries for the present investigation are China PR and Japan.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

11. The period of investigation (POI) in the present investigation is January 2023- December 2023 (12 months). The injury investigation period has been considered as period 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023 and the POI.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a. Normal Value for China

12. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule-7 of Annexure I of the Rules. The applicant has cited Para 8(2) of Annexure-I of the Rules and have stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure-I of the Rules. The applicant has claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.
13. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country is not available. Therefore, normal value, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

b. Normal Value for Japan

14. The applicant has claimed that efforts were made to collect the data relating to price of the product in the domestic market of Japan, however, the same was not available. Therefore, normal value, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits. The Authority will further examine the

evidence provided by the interested parties and the applicant for the determination of normal value during the investigation.

c. Export Price

15. The export price for the subject goods has been computed based on the Directorate General of Systems & Data Management transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make the prices at ex-factory levels so that they become comparable with the normal value.

d. Dumping Margin

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin is above the de minimis level and is significant with respect to the product under consideration from both the subject countries individually. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

G. ALLEGATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

17. The applicant has provided prima facie evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in both absolute as well as in relative terms. The capacity utilization of the domestic industry has declined. The price depression caused by the dumped imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve reasonable rate of returns in POI. The subject imports have an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry. Thus, the evidence provided by the applicant, prima facie shows injury to the domestic industry caused by the alleged dumped imports from China PR and Japan.

H. INITIATION OF THE INVESTIGATION

18. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. SUBMISSION OF INFORMATION

19. All communication should be sent to the Authority via email at the email adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
20. The known producers/exporters from the subject countries, their government through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

J. TIME LIMIT

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the ADD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

K. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.
27. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non- confidential versions separately.
28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The interested parties can offer their comments on the aforementioned email addresses on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may. disregard such information.

L. INSPECTION OF PUBLIC FILE

35. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non- confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

M. NON- COOPERATION

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority